न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:–230 / 23 दायर दिनांक:–19.12.2023

जीसीएमएस नं. 2023 / 564

हटीला उर्फ हटीलाराम पुत्र रामसहाय उम्र 50 साल जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

-------सायल

बनाम

1. छुट्टन उर्फ छुट्टनलाल पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0
2. रामकेश पुत्र छुट्टन उम्र 38 साल जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0
3. लाखनसिंह पुत्र छुट्टन उम्र 36 साल जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
4. हरिओम पुत्र छुट्टन उम्र 34 साल जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

------गैरसायलान–04

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–1. श्री संजय शर्मा अधिवक्ता सायल

2. श्री सीताराम गुर्जर गैरसायलान

निर्णय

दिनांक:– 22.11.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि जमाबंदी संवत 2078 स्थायी खाता संख्या नया 79 खसरा न0 1049 रकबा 0.58 है0, खाता संख्या नया 76 खसरा न0 741 रकबा 0.10 है0, 742 रकबा 0.11 है0, कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.21 है0 तथा खाता संख्या नया 77 खसरा न0 1006 रकबा 0.27 है0, 1007 रकबा 0.31 है0, [illegible] रकबा 0.34 है0, 1030 रकबा 0.06 है0, 1030 / 1148 रकबा 0.23 है0, 1050 [illegible] 0.28 है0 [illegible] रकबा 0.65 है0, 789 रकबा 0.23 है0 कुल खसरा 9 कुल रकबा 2.80 है0 [illegible] खेडीघाटम पटवार हल्का [illegible]निया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरंगमा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0 में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:16:30 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र के सायल व गैरसायल न0 1 छुट्टन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमियॉ सायल हटीला व गैरसायल न0 1 छुट्टन की

राहखातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। चुंकि अभी तक उपरोक्त भूमियों का कानूनी तौर पर विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। काश्त की सुविधा के लिये अपने–अपने हिस्से बांट रखा है। हिस्सेनुसार सायल व गैरसायल काबिज आराजी है। गैरसायल न0 2 ता 4 गैरसायल न0 1 छुट्टन के पुत्र है। जो गैरसायल न0 1 के साथ मिलकर सायल की कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते रहते है। इसलिये इन्हें गैरसायल बनाया है।

कृषि भूमि खाता संख्या नया 79 खसरा न0 1049 रकबा 0.58 है0 चाही 2 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का सायल मुताबिक जमाबंदी 1/2 भाग का तथा गैरसायल न0 1 छुट्टन शेष 1/2 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

कृषि भूमि खाता संख्या नया 76 खसरा न0 741 रकबा 0.10 है0 तथा खसरा न0 742 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी के मुताबिक जमांबदी 1/2 भाग का सायल तथा शेष 1/2 भाग का गैरसायल न0 1 छुट्टन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

कृषि भूमि खाता संख्या नया 77 खसरा न0 1066 रकबा 0.27 है0, 1007 रकबा 0.31 है0, 1008 रकबा 0.34 है0, 1030 रकबा 0.06 है0, 1030/1148 रकबा 0.23 है0, 1032 रकवा 0.45 है0, 1050 रकबा 0.28 है0, 1051 रकबा 0.65 है0, 789 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी के मुताबिक जमाबंदी 1/2 भाग का सायल हटीला तथा शेष 1/2 भाग का गैरसायल न0 1 छुट्टन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त भूमि मुतजिका मद न0 2 प्रार्थना पत्र के किसी भी भाग से गैरसायल न0 2 ता 4 का कोई संबंध नहीं है। गैरसायल न0 1 ता 4 लठैत तथा उद्दण्ड प्रकृति के व्यक्ति है। जो सायल से रजिंश रखते है। और सायल की कब्जे काश्त में गैरसायल न0 1 के साथ मिलकर आये दिन व्यवधान पैदा करते रहते है। लट्ठ के बल पर सायल के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। और सायल को अपनी खातेदारी की भूमि से बेदखल करना चाहते है। बिना बंटवारा कराये भूमि को रहनव्यय करने की धमकी देते है। जबकि सायल सीधा–सीधा सज्जन व्यक्ति है। जबरदस्ती मुताबिक हिस्सेनुसार की आराजी पर खुले आम दिनांक 24.11.2023 की धमकी भी दी है कि गैरसायल सायल को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल कर देंगे। सायल को काश्त नहीं करने देंगे। सायल के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा

दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्ति की मदद से खसरा न0 1049, 741, 742, 1006, 1007, 1008, 1030, 1030/1148, 1032, 1050, 1051, 789 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली के सायल के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत बेजा पैदा ना करे। सायल को अपने हिस्से की भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने देवे। सायल का अपने हिस्से से बेदखल ना करे। गैरसायलान विवादित भूमि को वेस्ट, डेमेज एण्ड एलीनेट ना करे। बिना विधिवत बंटवारा कराये विवादित भूमि के किसी भी भाग को

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:16:30 IST
Reason: SelfAttested

रहनव्यय ना करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। ना ही किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक सायल पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से को श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं 10.09.2024 को जबाव पेश किया जो निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 गलत है अस्वीकार है सायल के उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्यों मे लेशमात्र भी सत्यता नहीं है एवं सायल की सफलता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता
2. मद न0 2 प्रार्थनापत्र स्वीकार है।
3. मद न0 3 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। सायल का यह कथन कतई गलत है कि गैरसायल न0 2 लगायत 4 गैरसायल नम्बर 1 छुट्टन से मिलकर सायल के कब्जेकाश्त में व्यवधान पैदा करते हो, सायल द्वारा गैरसायल न0 2 लगायत 4 को बिना किसी औचित्य के दावा हाजा में बेवजह पक्षकार मुकदमा बनाया है। प्रार्थना पत्र हाजा में मिसजोईन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स आरीज होने से प्रार्थनापत्र सायल कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।
4. मद न0 3 प्रार्थना पत्र स्वीकार है।
5. मद न0 4 प्रार्थना पत्र स्वीकार है।
6. मद न0 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार है।
7. मद न0 6 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है दिनांक 24.11.2023 को या किसी भी दिन किसी भी समय सायल व गैरसायलान के मध्य इस मद में वर्णित कोई मद में वर्णित कोई वातावरण नहीं हुआ है सायल ने इस मद में सभी कथन कतई गलत व बनावटी महज दावा दायर करने के आधार गढने के आशय से दर्ज कराये है कि जो गैरसायलान को स्वीकार नहीं है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 79, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 76, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 77 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

उभयपक्ष वकीलान उपस्थित। उभयपक्ष वकीलान की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:16:30 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 79, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 76, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 77 वाके ग्राम खेड़ीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी खातेदारी सायलान व गैरसायल के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रकरण में गैरसायल अपनी मौखिक बहस व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद में अपना पक्ष बखुबी साबित नहीं कर पाया है। जिससे प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन बखूबी साबित होता है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान को दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 19.12.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1049, 741, 742, 1006, 1007, 1008, 1030, 1030/1148, 1032, 1050, 1051, 789 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 22.11.24

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:16:30 IST
Reason: SelfAttested